PAUL MERCHANTS

Paul Merchants Limited
An ISO 9001 : 2015 Certified Company CIN : L74900DL1984PLC018679
Corp. Office. : PML House, SCO 829-830, Sector 22-A, Chandigarh-160022
Ph. 0172-5041740, 5041757, 5041792 Fax : 0172-5041713
Regd. Office : DSM 335, 336, 337, 3rd Floor, DLF Tower, 15, Shivaji Marg,
Najafgarh Road, New Delhi-110015 Ph. : 011-48702000
www.paulmerchants.net info@paulmerchants.net

Corporate Relations Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001

PML/BSE/CS/2022/341
Date: August 29, 2022

SUBJECT:- PUBLIC NOTICE IN RESPECT OF INFORMATION REGARDING HOLDING OF ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

REF: (i) MCA General Circular 02/2022 dated May 05, 2022 read with earlier circular 20/2020 dated 5th May, 2020

(ii) Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

SCRIP CODE: - 539113

Dear Sir,

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has, vide its General Circular no. 02/2022 dated May 05, 2022 read over with its earlier Circular no. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular no. 19/2021 dated December 08, 2021, Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular no. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular no. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular no. 14/2020 dated April 8, 2020 and SEBI vide its Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13 May, 2022 read over with its earlier Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15 January, 2021 and Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12 May 2020, permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at a common venue.

Further, as per the provisions of the Companies Act, 2013 and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with aforesaid Circulars, the Company has decided to hold its 38th Annual General

PAUL MERCHANTS LIMITED SCO 829-830 SECTOR 22-A CHANDIGARH

Meeting ('AGM') on Thursday, the 29th day of September, 2022 at 12.00 Noon (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM).

Pursuant to the MCA General Circular 02/2022 dated May 05, 2022 read with earlier circular 20/2020 dated 5th May, 2020, read over with Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose the copies of newspaper notice published on Monday, August 29, 2022 in "The Financial Express" and "Jansatta" in respect of information regarding holding of the 38th AGM of the Company through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM").

The aforementioned newspaper publication may also be accessed on the website of the Company at www.paulmerchants.net.

Further, the requisite information as per Regulation 30 read with Para No. 12 of Para A of part A of Schedule III of SEBI LODR Regulations read with SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD/4/2015 dated September 9, 2015 is as under:-

- Date of Notice – The Public Notice has been published in the Newspapers "The Financial Express" (All editions) and "Jansatta" (Delhi edition) on 29-08-2022.
- Brief details viz. agenda (if any) proposed to be taken up, resolution to be passed, manner of approval proposed etc.:- This is a Public Notice containing the contents as specified in MCA General Circular 02/2022 dated May 05, 2022 read with earlier circular 20/2020 dated 5th May, 2020 on holding of AGM of the Company through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM").

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For PAUL MERCHANTS LIMITED,

PAUL MERCHANTS LIMITED SCO 829-830 SECTOR 22-A

(HARDAM SINGH)
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
FCS 5046

Enc.:- Newspaper publications

BASIC DEDUCTIONS, MORE GRADED SLABS MOOTED

Exemption-free tax regime needs tweaks, say analysts

PRASANTA SAHU
New Delhi, August 28

WITH FEW TAKERS for the income tax regime without exemptions even after two years of its introduction, the government may consider allowing basic deductions and make the slabs more graded to make it more attractive to taxpayers under different brackets, according to analysts.

However, the dual regime tax regime may continue for another two to three years until the new one finds acceptability through a mix of deductions and lower tax rates.

A review of the new regime — introduced as an option for taxpayers in FY21 along with the conventional one that allows exemptions but with relatively higher rates — seems necessary, given the lukewarm response to it from taxpayers. A senior government official, however, said any review could be undertaken at the appropriate time.

Less than 1% of the taxpayers who filed returns through the Clear (previously ClearTax) portal have opted for the new regime, according to its CEO, Archit Gupta. "The percentage of taxpayers opting for the new tax regime is less because of the non-availability of deductions. Currently, the new tax regime is feasible for those having lower incomes with no cash flow to

TEPID RESPONSE

Less than 1% of taxpayers who filed ITR through the Clear portal opted for the new tax regime

Onerous condition for individuals with business income as they can't switch back to old regime

■ Tax savings can be up to **₹4.29 lakh** in the old regime vs **₹78,000** in the new one for income up to **₹20 lakh**

■ Dual regime may stay for 2-3 years until new tax regime is tweaked to make it attractive

invest in tax-saving schemes. However, traditionally Indians are diligent savers and tend to maximise tax savings and claim deductions," Gupta said.

One option is to introduce a standard deduction of up to ₹2 lakh in the new regime sans the other exemptions, and phase out the old regime after some time, said Sonu Iyer, partner at EY India.

"Alternatively the government could look at introducing standard deduction up to ₹2 lakh and retaining Section 80C/80CCD deductions limited to PF, PPF, LIC, pension, NPS and 80D for mediclaim in the new regime. Insurance and retirement savings would be encouraged and also, given we do not have a formal security system to take care of post-retirement needs or medical emergencies, tax breaks for such planning should be incentivised by way of allowing deductions for such payments for medical insurance, pensions and savings for later life," Iyer said.

The trade-off of tax savings under the new regime is very small. Maximum tax saving is ₹78,000 for income up to ₹20 lakh, while the tax saving could be as high as ₹4.29 lakh in the old regime if one claims a host of deductions and exemptions.

There is an onerous condition of a lock-in if the individual taxpayer with a business/ profession opts for the new regime.

In the old tax regime, some 70-odd deductions and exemptions are allowed, such as standard deduction, house rent allowance and leave travel allowance or deduction under Section 80C (for various investments and payments such as tuition fees, principal repayment of housing loan), 80D (for medical insurance/ expenses), 80TTA (savings bank interest) or deduction of ₹2 lakh for housing loan interest, to name a few.

The exemption-free regime offers lower tax rates in a graded manner, that is, 5% rate for income of ₹2.5-5 lakh, 10% for ₹5-7.5 lakh, 15% for ₹7.5-10 lakh, 20% for ₹10-12.5 lakh, 25% for ₹12.5-15 lakh and 30% for over ₹15 lakh. Analysts say the six-slab structure may also have confused people.

"Slabs may be reduced to possibly three after some time when there will be only one regime," Iyer said, adding there should be no tax up to ₹5 lakh, 10% tax on ₹5-10 lakh, 20% on ₹10-20 lakh and 30% on income above ₹20 lakh.

If India must retain one tax regime, it is most likely the new one, where the government is keen to wean taxpayers off exemptions, said Aarti Raote, partner, Deloitte India.

780 more defence items to be procured locally

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, August 28

DEFENCE MINISTER RAJNATH Singh has approved a fresh list of 780 components and subsystems which will only be procured from domestic industry after a ban on their import kicks in under a staggered time-line of around six years.

It is the third such "positive indigenisation" list comprising line replacement units, sub-systems and components used for various military platforms, equipment and weapons,

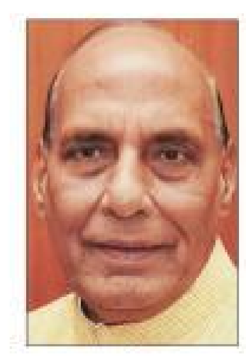

and the aim is to minimise imports by the defence public sector undertakings.

The defence ministry has set specific timelines for the ban on import of the items, spanning a period from December 2023 to December 2028.

"Singh has approved the third positive indigenisation list of 780 strategically important Line Replacement Units (LRUs)/Sub-systems/Components with a timeline beyond which they will only be procured from the domestic industry," it said in a statement on Sunday.

177 firms to sell Bharat brand fertiliser from Oct 2

SANDIP DAS
New Delhi, August 28

COME OCTOBER 2, FERTILISERS will be sold under a single brand name, Bharat — a move that will enable the government curb subsidy outgo on the soil nutrients.

According to sources, this will also ensure uniformity in fertiliser supplies and eliminate unhealthy competition among companies.

Under the current system, agents and dealers of fertiliser companies influence farmers' purchase decisions. After the rollout of the one nation, one fertiliser initiative, farmers will get quality fertiliser without bothering about brands.

At present, the subsidy components of various fertilisers sold through 177 manufacturers are 80% for urea, 65% for di-amonimum phosphate, 55% for nitrogen, phosphorus and potassium – NPK (55%) and 31% for muriate of potash.

The government had incurred ₹1.62 trillion as fertiliser subsidy in 2021-22. In 2020-21, the subsidy was ₹1.32 trillion, which included a freight subsidy of ₹9,063 crore.

The subsidy bill in the current fiscal is estimated to be in the range of ₹2.2 - ₹2.3 trillion as elevated global prices of fertilisers and natural gas, the key feedstock, have inflated costs.

The varieties of fertilisers will be sold from October 2 as

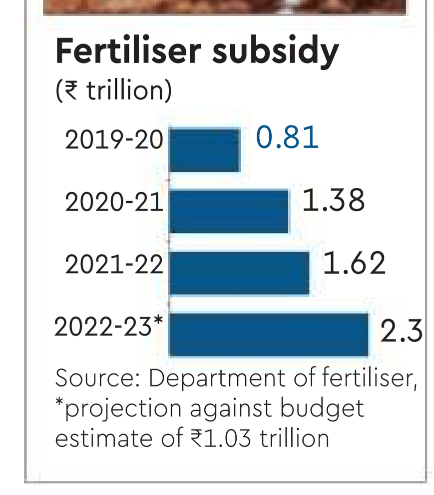

Bharat urea, Bharat DAP, Bharat MOP and Bharat NPK, under the fertiliser subsidy scheme Pradhanmantri Bhartiya Janurvarak Pariyojna.

Officials said despite different brand names, nutrient contents of fertilisers remain the same as stipulated under the Fertiliser Control Order, 1985. "After the introduction of 'Bharat' brand, farmers would not be confused in choosing the brand and it would encourage companies to capture local markets, thus ensuring timely availability of fertiliser to the farmers," said an official.

While fertiliser manufacturers are yet to respond to the decision to do away with multiple brands, an official with one unit told *FE* the move could dilute brand valuation of the companies.

A fertiliser ministry notification issued last week said manufacturers can display their name, brand, logo and other relevant product information on one-third space of the bags.

Movement of fertilisers across states causes delays in their transportation, while pushing up the freight subsidy burden for the government, the note said.

Officials said several fertiliser units from the western part of the country market their products in the eastern region, while units in the north supply fertiliser to western and southern regions.

The government released the fertiliser subsidy to manufacturers, who sold their produce to farmers through their retail chains. Since the introduction of the direct benefit transfer system in October 2016, fertiliser subsidies have been released to companies on the basis of sales made by the retailers to the farmers.

Sale of all subsidised fertiliser to farmers or buyers is currently made through point of sale devices installed at outlets since March 2018 and beneficiaries are identified through Aadhaar, Kisan Credit Card and other documents.

Govt bans wheat product exports to tame prices

FE BUREAU
New Delhi, August 28

THE GOVERNMENT HAS banned exports of wheat flour and related products to keep domestic supplies steady and curb a price rise. Nevertheless, it will allow exports of such products to food-deficit nations, based on requests from their governments.

With this, the export policy for wheat products has been brought on a par with that of wheat. According to a notification dated August 27 by the Directorate General of Foreign Trade, exports of wheat flour

The move follows a spike in wheat product exports in recent months, which could undermine the ban on wheat exports

(atta), maida, semolina (rava/sirgi), wholemeal atta and resultant atta are now prohibited.

The move follows an irrational spike in outbound shipments of wheat products in recent months, which has threatened to undermine the government's ban on wheat exports imposed on May 13. The government subsequently decided to allow flour exports, subject to recommendations by an inter-ministerial panel.

However, since massive exports of wheat products continued, the government has stepped in to prohibit them. On August 25, the Cabinet decided to restrict exports of wheat or meslin flour.

Exports of wheat or meslin flour jumped 215% on year in the June quarter to $128 million. The all-India average retail price of wheat flour (atta) has risen more than 17% from a year ago to ₹35.2 per kg, according to the consumer affairs ministry data.

Prices of wheat and wheat products started rising earlier this year, after an intense heat-wave hurt the yield level of the crop. Wheat output in the 2021-22 crop year through June is estimated to have dropped 3% from a year before to 106.84 million tonne. However, private trade sources claim the output is below 100 million tonne.

FORM B
PUBLIC ANNOUNCEMENT
[Under Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016]
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF VISHAL FOOTWEAR LIMITED

Sl.No.	PARTICULARS	DETAILS
1.	Name of corporate debtor	Vishal Footwear Limited
2.	Date of incorporation of corporate debtor	03/04/1989
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated /registered	The Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana, New Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	L19201DL1989PLC035728
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Shop No.123, Plot No.23 Vardaman Charve, Plaza K.P.Block Comm, Complex Pritampur, New Delhi-110034
6.	Date of closure of Insolvency Resolution Process	24.08.2022
7.	Liquidation commencement date of corporate debtor	24.08.2022 (NCLT order was uploaded on the website of NCLT on 25.08.2022)
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as liquidator	Ananda Rao Korada Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00286/2017-18/10844
9.	Address and e-mail of the liquidator, as registered with the Board	**Address:** Flat 3, 400B/2F, N.S.C Bose Road, Kolkata, West Bengal-700047 **Email:** raoka55@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the liquidator	Flat 3, 400B/2F, N.S.C Bose Road, Kolkata, West Bengal-700047 E-mail id: cirp.vishalfootwear@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	23.09.2022

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal New Delhi Bench III has ordered the commencement of liquidation of Vishal Footwear Limited on 24th August, 2022.

The stakeholders of Vishal Footwear Limited are hereby called upon to submit a proof of their claims or update their claims on or before 23rd September, 2022 to the Liquidator at the address mentioned against Item 10.

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-
Ananda Rao Korada
Liquidator
Date: 27.08.2022
Place: Kolkata
IP Regn No.: IBBI/IPA-002/IP-N00286/2017-18/10844

Possession Notice (For Immovable Property) Rule 8-(1)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of **IIFL Home Finance Limited** (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower/Co-Borrowers mentioned herein below to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has **taken possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **IIFL HFL** for an amount as mentioned herein under with interest thereon. "The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, If the borrower clears the dues of the **"IIFL HFL"** together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by **"IIFL HFL"** and no further step shall be taken by **"IIFL HFL"** for transfer or sale of the secured assets.

Name of the Borrower(s) /Co-Borrower(s)	Description of the Secured Asset (Immovable Property)	Total Outstanding Dues In Rs.	Date of Demand Notice	Date of Possession
New Era Stock And Share Brokers Pvt Ltd Mr. Manoj Kumar Shukla Mrs. Rita Shukla (Prospect No.838128 & 928998 & 929728)	**1.** All that piece and parcel of:Flat No 157, admeasuring 78.93 sq. mtrs., DDA SFS, on ground floor,Pocket-D, Trilok Puri, Mayur Vihar Phase-II, Delhi, 110091, India **2.** All that piece and parcel of:Flat Bearing no. 457, on ground floor, SFS Cat-III, Pocket-E, Trilok Puri, Mayur Vihar Phase-II, Delhi, 110091, India.	**vide Prospect No. 838128 is Rs.3,11,00,991 /-** (Rupees Three Crore Eleven Lakh Nine Hundred Ninety One Only), **vide Prospect No. 928998 is Rs.59,12,980 /-** (Rupees Fifty Nine Lakh Twelve Thousand Nine Hundred Eighty Only) and **vide Prospect No. 929728 is Rs.2,08,250 /-** (Rupees Two Lakh Eight Thousand Two Hundred Fifty Only)	24-Sept-2021	25-Aug-2022

For,further details please contact to Authorised Officer at **Branch Office : Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom,Moti Nagar, New Delhi** / or **Corporate Office:** Plot No.98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana.
Place:Delhi, Date: 29-08-2022 **Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd.**

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक
pnb
punjab national bank ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
Circle SASTRA Centre: East Delhi, Pocket-E, Mayur Vihar Phase-II, Delhi-110091
E-mail: cs8075@pnb.co.in, Phone Nos.(Off.): 011-22779758, 22785289

Possession Notice [Rule 8(1)]

Whereas the undersigned being the authorized officer of the **Punjab National Bank, CIRCLE SASTRA Centre, East Delhi, CSC, 1st Floor, Pocket, Mayur Vihar Phase-2, New Delhi-110091** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (herein after referred to as the "said Act") and in Exercise of Powers conferred under section 13(12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated **30.05.2022** calling upon **Mr. Vineet Khanna S/o Sardari Lal Khanna & Ms. Radha Khanna W/o Sh. Vineet Khanna, (A/c No: 1518009900000030 & 151800RF00000025) Add: 168, Pkt- E, Mayur Vihar, Phase-2, Delhi- 110091 also at: 807, Block-B, 8th Floor, Khushboo Sahkari Awas Samiti Ltd., Plot No. 11, Sector- PI, Greater Noida (U.P.),** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 2704571.88/- (Rupees Twenty Seven Lakhs Four Thousand Five Hundred Seventy One & Paise Eighty Eight Only.) (incl. Interest as on 30.04.2022) with further interest, expenditure & other charges etc. thereon Minus Recovery** until payment in full, within 60 days from the date of receipt of the said notice, under section 13(2) of the said act.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ guarantor/ mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said act, read with Rule 8 of the said Rules on this **26th day of August, 2022**.

The borrowers/guarantors/mortgagors attention is invited to provisions of Sub- Section (8) of 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets.

The borrower/ guarantor/ mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the said property will be subject of the charge of the **Punjab National Bank, BO: Patparganj Main, Delhi for Rs. 2704571.88/- (Rupees Twenty Seven Lakhs Four Thousand Five Hundred Seventy One & Paise Eighty Eight Only.) (incl. Interest as on 30.04.2022) with further interest, expenditure & other charges etc. thereon Minus Recovery** until payment in full:

Collateral Security:
1) Property bearing Flat No: 807, Block-B, 8th Floor, Khushboo Sahkari Awas Samiti Ltd., Plot No. 11, Sector- PI, Greater Noida (U.P.)

Date: 26.08.2022, Place: Delhi **Authorised Officer/Chief Manager, Punjab National Bank**

PAUL MERCHANTS LTD.® (An ISO 9001:2015 Certified Co.) (CIN: L74900DL1984PLC018679)
CORP. OFF.: SCO 829-830, Sector 22A, Chandigarh 160022 Ph.0172-5041786, Fax: 0172-5041709
E-mail: info@paulmerchants.net Website: www.paulmerchants.net
REGD. OFF.: DSM 335, 336, 337, 3rd Floor, DLF Tower, 15, Shivaji Marg, Najafgarh Road, New Delhi-110015. Ph: 011-48702000

NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM"), REMOTE EVOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 38th Annual General Meeting (AGM) of the Members of M/s Paul Merchants Limited will be held on the Thursday, 29th day of September, 2022 at 12.00 Noon (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the Business, as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder read with General Circular no. 02/2022 dated May 05, 2022 read over with its earlier Circular no. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular no. 19/2021 dated December 08, 2021, Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular no. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular no. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular no. 14/2020 dated April 8, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13 May, 2022 read over with its earlier Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15 January, 2021 and Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12 May 2020 issued by SEBI, without the physical presence of Members at a common venue. The special business proposed to be transacted at the ensuing AGM as set out in the Notice, has been considered as unavoidable by the Board of Directors of the Company.

Dispatch of Notice and Annual Report via e-mail:-

In compliance with the above laws and applicable circulars, only electronic copies of the Notice convening the 38th AGM along with the Annual Report for FY 2021-22, will be sent within prescribed timelines by e-mail to all the Members whose e-mail addresses are registered with the Company and/or the Depository Participant. Physical copy of full annual report shall be sent to those shareholders who request for the same and request in this regard may be submitted to investor.redressal@paulmerchants.net. Shareholders can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only, which shall be provided by the Company through Central Depository Services (India) Limited, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the AGM. Shareholders attending through VC / OVAM shall be counted for the purpose of the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Availability of the Notice of AGM and Annual Report on the Website:-

The Annual Report of the Company for financial year 2021-22 containing inter alia the Notice of the 38th Annual General Meeting will be available on the website of the Company i.e. www.paulmerchants.net, on the website of BSE Ltd at www.bseindia.com and on the website of CDSL at https://www.evotingindia.com.

The manner in which the Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the company, can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting

Members including the ones holding shares in physical mode or whose e-mail addresses are not registered, may cast their votes through remote e-Voting or through e-voting system during the AGM, after registering their e-mail addresses by following the below process:-

Send the following documents to the Company at investor.redressal@paulmerchants.net or to the RTA of the Company at ramap@alankit.com:-

1. **For Physical shareholders :-** For updating the Email, PAN and KYC details, issue specific authorization as provided in Form ISR-1. This Form is available on the Website of the Company www.paulmerchants.net\Investors
2. **For Demat shareholders :-** Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)
3. **For Individual Demat shareholders :-** Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings

The persons who have not registered their email addresses with the company can get the same registered with the company by following the above process.

The remote voting period begins on 09:00 a.m. (IST) on Monday, September 26, 2022 and ends on 05:00 p.m. (IST) on Wednesday, September 28, 2022. During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Thursday, 22-09-2022 may cast their vote electronically. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and the e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Those persons, who have acquired shares and have become members of the Company after the dispatch of Notice of the AGM by the Company and whose names appear in the Register of Members as of the cut-off date i.e. Thursday, 22-09-2022 are requested to view the Annual Report of the Company on the website of the Company at www.paulmerchants.net or on the website of CDSL (www.evotingindia.com) for instructions relating to e-voting and for attending the AGM. The detailed procedure for obtaining login Id, password, authentication and exercising remote e-voting and evoting at the AGM is already provided in the instructions given in the Notes to the Notice of AGM.

For further instructions on remote evoting, evoting during and for attending and participating in the AGM through VC/OAVM, Members may refer to the Notes to the Notice of the AGM. For queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, Members can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 022-23058542/43 and 1800225533.

The procedure and instructions for remote e-voting for Individual shareholders holding securities in Demat mode (CDSL/NSDL), for shareholders holding securities in Physical form and shareholders other than individual holding securities in Demat form have been detailed in the Notes to the Notice of the AGM.

Notice of Book Closure:- NOTICE is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 15-09-2022 to 21-09-2022 (both days inclusive) for the purpose of 38th Annual General Meeting of the Company.

For PAUL MERCHANTS LTD
SD/-
HARDAM SINGH
COMPANY SECRETARY, FCS 5046
Date: August 29, 2022
Place: Chandigarh

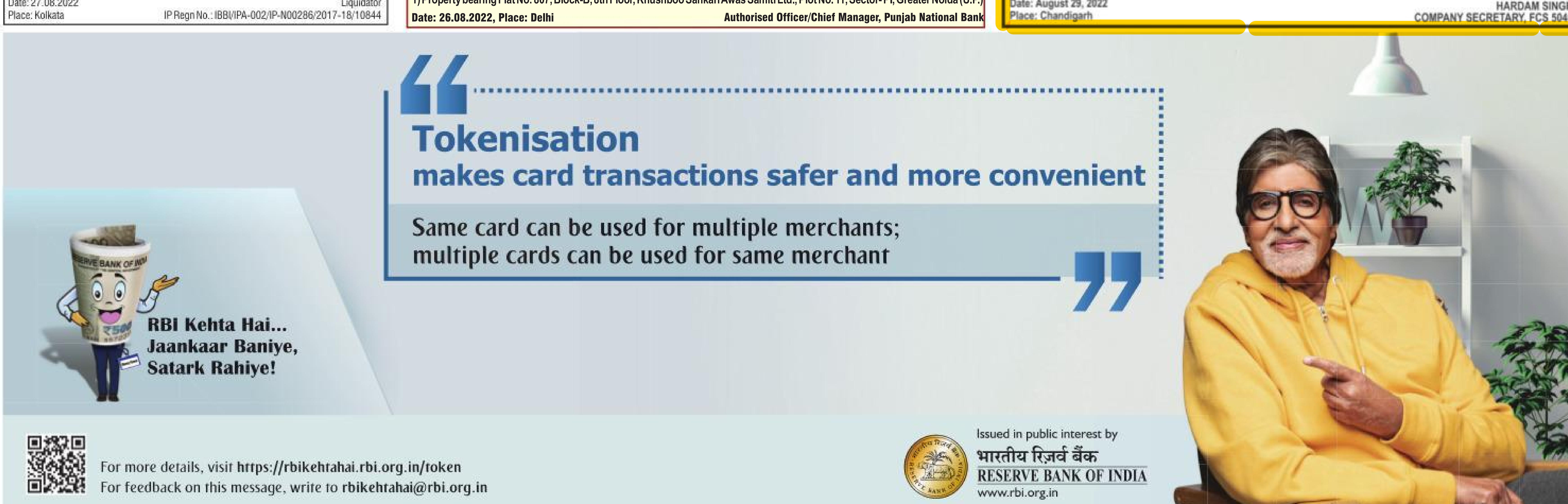

लीबिया की राजधानी में हिंसक झड़पों में 30 लोगों की मौत

काहिरा, 28 अगस्त (एपी)।

लीबिया की राजधानी त्रिपोली में शनिवार को हुई हिंसक झड़पों में 30 लोगों के मारे जाने के बाद रविवार को शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इस घटना के बाद, लंबे समय से चल रहे राजनीतिक गतिरोध के बीच फिर से हिंसा का दौर शुरू होने की आशंका पैदा हो गई है। त्रिपोली बीते कुछ वर्षों से प्रतिद्वंद्वी प्रशासनों के बीच विभाजित है, प्रत्येक को मिलिशिया और विदेशी सरकारों का समर्थन प्राप्त है। शनिवार को हुई झड़पों में अस्पतालों, सरकारी और आवासीय भवनों को नुकसान पहुंचा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, झड़पों में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई और 159 अन्य घायल हो गए। हिंसा में जान गंवाने वालों में एक हास्य कलाकार मुस्तफा बराका भी शामिल हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर मिलिशिया और भ्रष्टाचार का मखौल उड़ाने वाले वीडियो के लिए जाना जाता था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राजधानी में अस्पतालों पर गोलाबारी की गई। इस बीच, रविवार को शहर में कई दफ्तर बंद रहे और सरकार संचालित नेशनल ऑयल कार्पोरेशन ने अपने कर्मचारियों को रविवार को घर से काम करने का आदेश दिया।

श्रीलंकाई नौसेना ने छह भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया

कोलंबो, 28 अगस्त (भाषा)।

श्रीलंकाई नौसेना ने कथित रूप से देश के जल क्षेत्र में मछलियां पकड़ने के आरोप में छह भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है और उनकी नौकाएं जब्त कर ली हैं। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। यह अगस्त माह में इस तरह की दूसरी घटना है। श्रीलंकाई नौसेना ने बयान में बताया कि मन्नार द्वीप के उत्तर-पश्चिमी तट पर स्थित एक बस्ती तलाईमन्नार के पास शनिवार को मछुआरों को गिरफ्तार किया गया। मछुआरे तलाईमन्नार में नौसेना की हिरासत में हैं और उन्हें मन्नार में मत्स्यपालन निरीक्षक को सौंपा जाएगा। इससे पहले, 22 अगस्त को श्रीलंकाई जल क्षेत्र में मछलियां पकड़ने के आरोप में 10 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था। श्रीलंकाई नौसेना के कर्मियों द्वारा कथित रूप से अपने देश के जल क्षेत्र में अवैध तरीके से प्रवेश करने पर पाक जलडमरूमध्य में भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी किए जाने और उनकी नौकाओं को जब्त किए जाने की कई घटनाएं हुई हैं।

दोनों देशों के बीच नए सिरे से बढ़ा तनाव

ताइवान में अमेरिकी युद्धपोतों पर चीन की निगरानी बढ़ी

बेजिंग, 28 अगस्त (भाषा)।

अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के निम्न सदन प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान की यात्रा के बाद वाशिंगटन का यह पहला अभियान है।

चीन की नौसेना ताइवान को चीन की मुख्यभूमि से अलग करने वाले ताइवान जलडमरूमध्य से रविवार को गुजरे दो अमेरिकी युद्धपोतों पर करीब से नजर रख रही है। अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के निम्न सदन प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान की यात्रा के बाद वाशिंगटन का यह पहला अभियान है। इससे दोनों देशों के बीच नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।

अमेरिकी युद्धपोत ताइवान जलडमरूमध्य से गुजरे जहां पर अगस्त महीने में कई दिनों तक चीनी सेना ने सैन्य अभ्यास किया था, जो अकसर चीन और ताइवान को अलग करती रेखा को पार करता है और अपना दावा करता है। चीनी पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) के ईस्टर्न थियेटर कमान (ईटीसी) ने रविवार को कहा कि दो अमेरिकी मिसाइल निर्देशित क्रूजर-यूएसएस एंटीएटम और यूएसएस चांसलरविली, 28 अगस्त को ताइवान जलडमरूमध्य से गुजरे और सार्वजनिक रूप से अपना प्रचार किया।

ईटीसी के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल शी यी ने कहा कि ईटीसी ने जलडमरूमध्य से गुजरने के दौरान अमेरिकी पोतों की पूरे रास्ते जानकारी रखी और निगरानी की एवं दो अमेरिकी युद्धपोतों की सभी गतिविधि नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि पीएलए के ईस्टर्न थियेटर कमान के सैनिक हमेशा सतर्क रहते हैं और किसी भी उकसावे को निष्क्रिय करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी नौसना के पोतों की आवाजाही की आलोचना करते हुए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अमेरिका ताइवान के अधिकारियों और क्षेत्रीय सहयोगियों का तुष्टिकरण करने की कोशिश कर रहा है। वह उन्हें संदेश दे रहा है कि वाशिंगटन चीन की मुख्य भूमि से पड़ रहे सैन्य दबाव की वजह से पीछे नहीं हटेगा। चीन और ताइवान को अलग करते एवं व्यस्त एवं रणनीतिक रूप से अहम ताइवान जलडमरूमध्य से पेलोसी की यात्रा के बाद पहली बार अमेरिकी युद्ध पोत गुजरे हैं। आधिकारिक मीडिया की जानकारी के मुताबिक वर्ष 2012 से अब तक चीन के दावे को चुनौती देने के लिए करीब 100 अमेरिकी युद्धपोत इस जलडमरूमध्य से गुजर चुके हैं।

अमेरिका इसी तरह का नौवहन और हवाई अन्वेषण विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे के विरोध में करता है। चीन इलाके के अधिकतर हिस्से पर अपना दावा करता है जबकि फिलीपीन, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान चीन के दावे का विरोध करते हैं।

पाकिस्तान में बाढ़ से हजार से ज्यादा लोगों की मौत

इस्लामाबाद, 28 अगस्त (भाषा)।

पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर एक हजार से ज्यादा हो गई है।

रविवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देशभर में बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 119 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में 14 जून से जारी भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से स्थिति भयावह हो गई है और देश के दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के मैदानी इलाके जलमग्न हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में 119 लोगों की मौत हुई है। एनडीएमए ने कहा कि पाकिस्तान में अब तक 1,033 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,527 लोग घायल हुए हैं।

प्राधिकरण ने कहा कि गत एक दिन में सर्वाधिक संख्या में लोगों की मौत सिंध प्रांत में हुई, जहां 76 लोगों ने जान गंवाई। देशभर में पिछले 24 घंटों में बाढ़ जनित घटनाओं के कारण 71 लोग घायल हो गए।

कश्मीर में वित्त लेखा सहायक व कनिष्ठ अभियंता भर्ती सूची रद्द

श्रीनगर, 28 अगस्त (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने रविवार को वित्त लेखा सहायकों (एफएए) और कनिष्ठ अभियंताओं (जेई) की नियुक्तियां रद्द कर दीं और चयन प्रक्रिया की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) से जांच के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने सभी उम्मीदवारों को आश्वासन दिया कि कथित विसंगतियों के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय ने ट्वीट किया, वित्त लेखा सहायक (जेकेएसएसबी एफएए) और कनिष्ठ अभियंता (जेई सिविल) भर्ती रद्द कर दी गई है और चयन प्रक्रिया की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। नयी भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। वित्त लेखा सहायक के उम्मीदवार कथित विसंगतियों को लेकर मेरिट सूची को संभावित रूप से रद्द करने के खिलाफ यहां पिछले कुछ सप्ताह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के सामने आने के बाद पुलिस उप-निरीक्षक का चयन रद्द कर दिया था। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच के भी आदेश दिए।

कांग्रेस के आंतरिक चुनाव का दावा मजाक : भाजपा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को कांग्रेस के उस दावे का माखौल उड़ाया कि वह एकमात्र पार्टी है जिसमें आंतरिक चुनाव कराए जाते हैं। सत्तारूढ़ दल ने इसे 'मजाक' करार देते हुए कहा कि क्या यह अक्तूबर में 'अप्रैल फूल दिवस' (मूर्ख दिवस) मनाने के लिए है, जब चुनाव की तारीख तय की गई है।

कांग्रेस द्वारा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तारीख 19 अक्तूबर घोषित किए जाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने वाली एकमात्र पार्टी होने का दावा किए जाने के बाद भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सवाल किया 'क्या यह मजाक है?' भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने व्यंग्य करते हुए सवाल किया, 'इस साल अक्तूबर में मूर्ख दिवस मनाया जा रहा है।' उन्होंने कहा कि सभी 'इस तमाशे' की सच्चाई को जानते हैं। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस वास्तव में लोकतंत्र मुक्त और जवाबदेही मुक्त पार्टी है। वहां प्रदर्शन से अधिक परिवार और गुण से अधिक चापलूसी अहम है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वहां किसी ऐसे व्यक्ति को दोबारा नेतृत्व देने पर शोरशराबा नहीं होगा जिसके नेतृत्व में 49 में से 39 विधानसभा चुनावों में और दो लोकसभा चुनावों में हार मिली हो। पूनावाला ने आरोप लगाया कि यह चयन मुगल सल्तनत शैली में ताजपोशी से ज्यादा कुछ नहीं है जिसे चुनाव जैसा स्वरूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि हाल में कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद सहित कई नेताओं ने राहुल गांधी और प्रस्तावित चुनाव प्रक्रिया की आलोचना की थी और आंतरिक चुनाव को दिखावा करार दिया था। भाजपा में शामिल होने से पहले पूनावाला भी कांग्रेस के सदस्य थे। पूनावाला ने कहा कि जब वह कांग्रेस में थे तो स्वयं संगठनात्मक चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया जो उसकी मुगल शैली की ताजपोशी की संस्कृति को उजाकर करता है।

एकतरफा प्यार में युवक ने युवती को जिंदा जलाया

दुमका/रांची, 28 अगस्त (भाषा)।

झारखंड के दुमका में मंगलवार को शाहरुख नामक एक युवक ने एकतरफा प्यार में असफल होने पर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 19 साल की युवती को जिंदा जला दिया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद प्रशासन ने वहां धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी है।

दुमका के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने एजंसी को बताया कि घटना में 90 फीसद झुलस गई युवती को इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार तड़के ढाई बजे उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद युवती अंकिता का शव दुमका लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि युवती के जेरुवाडीह मोहल्ले स्थित घर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दुमका के एसडीओ महेश्वर महतो ने बताया कि युवती के मरने की सूचना दुमका पहुंचने पर वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई, वहां दोषी को फांसी देने की मांग को लेकर विहिप और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि विरोध प्रदर्शनों के बाद हालात को ध्यान में रखते हुए दुमका शहर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस सिलसिले में गोड्डा से भाजपा सांसद डा' निशिकांत दूबे ने ट्वीट किया है कि काश दुमका की बेटी अंकिता को हमलोग शाहरुख़ जैसे दरिंदे से बचा पाते।

ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्राली को टक्कर मारी, छह श्रद्धालुओं की मौत, 34 घायल

बरेली, 28 अगस्त (जनसत्ता)।

जिले के थाना बहेड़ी क्षेत्र में एक तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। हादसे में तीन बच्चों सहित छह लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि 34 लोग घायल हो गए।

जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी ने बताया कि घायलों में तीन की हालत गंभीर है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचवाया है। उत्तराखंड के सितारगंज से ट्रैक्टर ट्राली में बैठकर रविवार सुबह 40 श्रद्धालु बहेड़ी के उत्तम नगर गुरुद्वारा जा रहे थे। रास्ते में किच्छा खटीमा मार्ग पर सिरसा चौकी के सामने एक तेज रफ्तार टैंकर ने ट्राली में पीछे से टक्कर मार दी जिससे वह पलट गई। हादसे के बाद चालक टैंकर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस दुघर्टना में ट्राली पर सवार 40 लोगों में से छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

सिद्दीकी कप्पन, नवलखा की याचिकाओं पर अदालत में आज होगी सुनवाई

नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा)।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका, सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा की एक याचिका और कुछ महत्वपूर्ण जनहित याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगी।

सोमवार को सीजेआइ के तौर पर न्यायमूर्ति ललित का पहला दिन होगा। न्यायमूर्ति ललित ने शनिवार को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, लेकिन शनिवार और रविवार को न्यायालय में कामकाज नहीं होता है।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, अदालत कक्ष संख्या एक में सोमवार को सीजेआइ ललित की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट पीठ शामिल होंगे।

परमाणु संयंत्र पर खतरों को लेकर यूक्रेन, रूस ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया

कीव, 28 अगस्त (एपी)।

यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निकट गोलाबारी को लेकर यूक्रेन और रूस के एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के बीच, संयंत्र से संभावित विकिरण रिसाव के खतरे को लेकर चिंता बढ़ गई है।

यूक्रेन के अधिकारियों ने शनिवार को आरोप लगाया कि रूसी सेनाओं ने यूरोप के सबसे बड़े जैपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निकट नीपर नदी के उस पार यूक्रेन के कब्जे वाले हिस्सों में मिसाइल और तोप से हमले किए हैं। वहीं, रूस का दावा है कि यूक्रेन की ओर से दागे गए गोले उस इमारत पर गिरे हैं जिसमें परमाणु ईंधन को रखा गया है। इस बीच, अधिकारियों ने संयंत्र के करीब रहने वाले लोगों के बीच शुक्रवार को आयोडिन की गोलियां बांटीं, ताकि विकिरण होने की स्थिति में बचाव हो सके। सबसे बड़ी चिंता परमाणु संयंत्र के रिएक्टर को ठंडा रखने की कूलिंग प्रणाली को लेकर है, जिसे चालू हालत में रखने के लिए बिजली की जरूरत होती है। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने से पारेषण लाइन को हुई क्षति की वजह से संयंत्र को बृहस्पतिवार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। जानकारों का मानना है कि कूलिंग प्रणाली के बंद होने से परमाणु रिएक्टर के अत्यधिक गर्म होने की वजह से हादसा हो सकता है। रूसी सेना ने इस परमाणु संयंत्र पर छह महीने से जारी युद्ध की शुरुआत में ही कब्जा कर लिया था और यूक्रेन के स्थानीय कर्मियों ने इसका परिचालन जारी रखा। दोनों पक्ष एक दूसरे पर संयंत्र पर गोलाबारी करने का आरोप लगा रहे हैं जिससे इलाके में तबाही मचने की आशंका पैदा हो गई है। यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा परिचालक एनर्गोटम ने शनिवार को कहा कि रुक-रुक कर हो रही गोलाबारी की वजह से ऊर्जा केंद्र के अवसंरचना को क्षति पहुंची है।

कंपनी ने बताया कि हाइड्रोजन और रेडियोधर्मी सामग्री के रिसाव होने और आग लगने का खतरा बहुत अधिक है। निप्रापेट्रोस क्षेत्र के गवर्नर वालेंटिन रेजनिचेंको ने नवीनतम संघर्ष की जानकारी देते हुए बताया कि रूसी ग्राड मिसाइल और तोप के गोलों से निकोपोल और मारहानेट्स पर हमले किए गए हैं। यह क्षेत्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निकट नीपर नदी के उस पार मात्र 10 किलोमीटर दूर स्थित है।

कब्जा सूचना- (अचल सम्पत्ति के लिये) नियम-8(1)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईआईएफएल होम फाइनांस लि. (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनांस लि. (आईआईएफएलएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर यहाँ नीचे वर्णित ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय यहाँ नीचे वर्णित राशि के साथ उस पर ब्याज के लिये आईआईएफएल एचएफएल के चार्ज के अधीन होगा।

''ऋणधारक का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है कि यदि ऋणधारक बिक्री अथवा अंतरण के लिये निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज एंव खर्चे के साथ ''आईआईएफएल एचएफएल'' के बकाये का भुगतान कर देते हैं तो ''आईआईएफएल एचएफएल'' द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा अंतरण नहीं की जाएगी तथा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के अंतरण अथवा बिक्री के लिये ''आईआईएफएल एचएफएल'' द्वारा कोई कदम नहीं उठाई जाएगी।

ऋणधारक(कों) का नाम कानपुर शाखा	प्रतिभूत परिसम्पत्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	कुल बकाया देयता (रु.)	माँग सूचना तिथि	कब्जा सूचना तिथि
सुश्री प्रिंयका तिवारी, श्री नवीन चन्द्र तिवारी, श्रीमती उर्मिला तिवारी (प्रॉस्पेक्ट नं. 878165)	सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः अर्जी नं. 82 का भाग, माप 41.805 वर्ग मी., मौजा पूर्व ननकारी, कानपुर नगर-208001, उत्तर प्रदेश, भारत	रु. 688896/- (रु. छः लाख अठासी हजार आठ सौ छियानवे मात्र)	18 जून, 2022	24 अग. 22

अधिक विवरणों के लिये कृपया **शाखा कार्यालय**: 306, 3रा तल, साई स्क्वॉयर, भार्गव ईस्टेट, सिविल लाइन्स, कानपुर-208001 में प्राधिकृत अधिकारी एवं/अथवा **कॉर्पोरेट कार्यालय**: प्लॉट नं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुड़गाँव, हरियाणा में सम्पर्क करें।

स्थान: कानपुर, तिथि: 29.08.2022 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनांस लि. के लिये

RELIGARE Values that bind

रेलिगेयर एंटरप्राईजेज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 1407, 14वीं मंजिल, चिरंजीव टॉवर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019
CIN: L74899DL1984PLC146935
फ़ोन: +91-11-4472 5676
वेबसाइट: www.religare.com | ईमेल: investorservices@religare.com

वीडियो कांफ्रेंस/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से आयोजित होने वाली 38वीं वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए ईमेल आईडी के पंजीकरण हेतु सूचना

एतद् द्वारा **सूचना** दी जाती है कि रेलिगेयर एंटरप्राईजेज लिमिटेड ("**कम्पनी**") की 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक (जिसे इसके बाद "**एजीएम**" कहा जाएगा), **शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022** को सुबह 11.30 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("**वीसी**")/"**ओएवीएम**") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए एजीएम आयोजित करने के लिए नियत समय में आयोजित किया जाएगा।

कोविड-19 वैश्विक महामारी और सामाजिक दूरी के मानकों को ध्यान में रखते हुए, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ("**एमसीए**") द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020 के साथ पठित जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल 2020 तथा जनरल सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020 तथा जनरल सर्कुलर नंबर 02/2022 दिनांकित 05 मई, 2022 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ("**सेबी**") द्वारा जारी सर्कुलर नंबर SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 (इसके बाद सामूहिक रूप से "**सर्कुलर्स**" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में कम्पनियों को 31 दिसम्बर, 2022 तक वार्षिक सामान्य बैठक वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("**वीसी**")/"**ओएवीएम**") के माध्यम से, किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बगैर, आयोजित करने की अनुमति दी गई है। अतएव सर्कुलर्स तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 ("**अधिनियम**") तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ("**सेबी सूचीयन विनियमावली**") के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी की 38वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 को पूर्वा. 11.30 बजे, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बगैर, आयोजित की जाएगी।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय विवरण सम्मिलित हैं, एजीएम की सूचना सहित उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी, जिनका ई-मेल पता ऊपर संदर्भित सर्कुलर्स के अनुसार कम्पनी/कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट/संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंट्स) के पास पंजीकृत है। किसी भी सदस्य को सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की कोई भौतिक प्रति नहीं भेजी जाएगी, इसलिए, शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उनके अनुरोध पर भेजी जाएगी। सदस्यगण नोट करें कि एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट **www.religare.com** स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.nseindia.com** तथा **www.bseindia.com** पर और रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट नामतः केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("**आरटीए**") की वेबसाइट **https://evoting.kfintech.com** पर भी उपलब्ध होंगी। एजीएम से शामिल होने हेतु निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले रहे सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के लिए की जाएगी।

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका:

कम्पनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावो पर उनका वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ("**रिमोट ई-वोटिंग**") प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की सुविधा भी ("**ई-वोटिंग**") प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग में भाग लेने अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने का तरीका एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराया जाएगा।

ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करवाने का तरीका:

भौतिक और अभौतिक रूप में शेयरों के धारक जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता कम्पनी/आरटीए अथवा संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत/अपडेट नहीं करवाया है, वे लिंक: **https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx** का प्रयोग कर और तदुपरांत उसमें दर्शाई गई पंजीकरण प्रक्रिया का अनुसरण कर अपनी ई-मेल आईडी का अस्थायी पंजीकरण आरटीए के पास पंजीकृत/अपडेट करवा सकते हैं अथवा विकल्प रूप में ई-मेल आईडी **einward.ris@kfintech.com** पर मेल के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, पैन की स्व-सत्यापित प्रति तथा इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में क्लाइंट मास्टर प्रति तथा भौतिक फोलियो के मामले में, शेयर प्रमाणपत्र की प्रति भेजकर करवा सकते हैं, ताकि एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तथा/अथवा रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने तथा उसमें ई-वोटिंग हेतु अनुदेश प्राप्त कर सकें।

ई-मेल पता के स्थायी पंजीकरण के लिए, अभौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अनुरोध भेजें और भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य अपना अनुरोध कम्पनी के आरटीए को भेजें।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रान्सफर बुक्स शनिवार, 17 सितम्बर, 2022 से शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 तक (दोनों तिथियों सहित) एजीएम के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी। शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि इस संबंध में उनकी ओर से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, यदि कोई हो, के बारे में अधिक जानकारी के लिए एजीएम की सूचना देखें।

यह सूचना कम्पनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ एवं सर्कुलर्स के अनुपालन में जारी की जा रही है।

शेयरधारकों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के लागू कानूनों के अनुसार उनके पंजीकृत पते पर यथासमय प्रेषित की जाएंगी।

कोई भी सदस्य, जिसको ई-वोटिंग के संबंध में कोई संदेह/शिकायत है, वह श्री एस वी राजू - कार्पोरेट रजिस्ट्री, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500032 से 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर सम्पर्क कर सकता है अथवा **einward.ris@kfintech.com** पर ई-मेल कर सकता है।

निदेशक मंडल के आदेश से
रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
रीना जयरा
कंपनी सचिव

दिनांक: 29 अगस्त, 2022
स्थान : नई दिल्ली

पॉल मर्चेन्ट्स लि.
(आईएसओ 9001-2015 प्रमाणित क.) (CIN: L74900DL1984PLC018679)
कॉर्पो. कार्या.: एससीओ 829-830, सेक्टर 22-ए, चंडीगढ़-160022, फोन: 0172-5041786, फैक्स: 0172-5041709, ई-मेल: info@paulmerchants.net, वेबसाइट: www.paulmerchants.net
पंजीकृत कार्या.: डीएसएम 335, 336, 337, 3रा तल, डीएलएफ टावर, 15, शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015, फोन: 011-48702000

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाने वाली 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक, रिमोट ईवोटिंग जानकारी और किताब बंदी की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स पॉल मर्चेंट्स लिमिटेड के सदस्यों की 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) सेबी द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के साथ पठित परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा (एकत्रित रूप से "एमसीए परिपत्रों" के तौर संदर्भित) जारी पूर्व परिपत्र सं. 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, परिपत्र सं. 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021, परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 और परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के साथ पठित सामान्य परिपत्र 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम सूचना में निर्धारित अनुसार व्यापार को पूरा करने के लिए सामान्य स्थान पर सदस्यों की बिना भौतिक उपस्थिति के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से वीरवार, 29 सितंबर, 2022 को दोपहर 12.00 (आईएसटी) बजे पर आयोजित की जाएगी। नोटिस में तय किए गए आगामी एजीएम में पूरा किए जाने वाले विशेष व्यवसाय को कंपनी के निदेशकों के बोर्ड द्वारा अपरिहार्य माना गया है।

ई-मेल के माध्यम से सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का भेजना:-

उपरोक्त कानूनों और लागू परिपत्रों के अनुपालन में, वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 38वीं एजीएम बुलाने के नोटिस की केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां, उन सभी सदस्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएंगी, जिनके ई-मेल पते हैं कंपनी और/या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उन शेयरधारकों को भेजी जाएगी जो इसके लिए अनुरोध करते हैं और इस संबंध में अनुरोध investor.redressal@paulmerchants.net पर प्रस्तुत किया जा सकता है। शेयरधारक एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं, जो कंपनी द्वारा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, जिसका विवरण कंपनी द्वारा एजीएम की सूचना में प्रदान किया जाएगा। वीसी/ओवीएएम के माध्यम से भाग लेने वाले शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

वेबसाइट पर एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की उपलब्धता:-

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना शामिल है, कंपनी की वेबसाइट www.paulmerchants.net पर, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com पर उपलब्ध होगी।

जिस तरह से सदस्य भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं या जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले या जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, वे सदस्य नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना ई-मेल पता दर्ज करने के बाद रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं:-

निम्नलिखित दस्तावेज कंपनी को investor.redressal@paulmerchants.net पर या कंपनी के आरटीए को ramap@alankit.com पर भेजें:-

1. **भौतिक शेयरधारकों के लिए:** - ईमेल अपडेट करने के लिए, पैन और केवाईसी विवरण, फॉर्म आईएसआर-1 में दिए गए अनुसार विधिवत प्राधिकरण जारी करें। यह फॉर्म कंपनी की वेबसाइट www.paulmerchants.net/investors पर उपलब्ध है।
2. **डीमैट शेयरधारकों के लिए:**- कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें।
3. **व्यक्तिगत डीमैट शेयरधारकों के लिए:**- कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें जोकि ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के दौरान अनिवार्य है।

जिन व्यक्तियों ने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करके कंपनी के साथ पंजीकृत हो सकते हैं।

रिमोट वोटिंग की अवधि सोमवार, 26 सितंबर, 2022 को सुबह 09:00 (आईएसटी) से शुरू होगी और बुधवार, 28 सितंबर, 2022 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक, जो कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 22-09-2022 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर धारण करते हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसके बाद वोटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे व्यक्ति, जिन्होंने शेयरों का अधिग्रहण किया है और कंपनी द्वारा एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं और जिनके नाम कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 22-09-2022 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, उनसे ई-वोटिंग से संबंधित निर्देशों और एजीएम में भाग लेने के लिए कंपनी की वेबसाइट www.paulmerchants.net पर या सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट देखने का अनुरोध है। एजीएम में लॉग इन आईडी, पासवर्ड, प्रमाणीकरण और रिमोट ई-वोटिंग और इवोटिंग का प्रयोग करने की विस्तृत प्रक्रिया पहले से ही एजीएम की सूचना के नोट्स में दिए गए निर्देशों में प्रदान की गई है।

रिमोट इवोटिंग, ईवोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने और भाग लेने के बारे में आगे के निर्देश के लिए, सदस्य एजीएम के नोटिस के नोट्स देख सकते हैं। सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में प्रश्नों या मुद्दों के लिए, सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या 022-23058738 और 022-23058542/43 और 1800225533 पर संपर्क कर सकते हैं।

डीमैट मोड (सीडीएसएल/एनएसडीएल) में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और निर्देश, भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट फॉर्म में व्यक्तिगत धारक प्रतिभूतियों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए एजीएम की सूचना के नोट्स में विस्तृत हैं।

किताब बंदी की सूचना:- आगामी तौर पर सूचना दी जाती है कि कंपनीज़ एक्ट, 2013 तथा यहां इसके अधीन बनाए गए नियमों की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर) विनियमों 2015 के विनियम 42 के अनुवर्ती कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक कंपनी की 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक के उद्देश्य के लिए 15.09.2022 से 21.09.2022 (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

कृते पॉल मर्चेंट्स लिमिटेड
हस्ता./-
हरदम सिंह,
कंपनी सचिव एफसीएस 5046

तिथि: 29 अगस्त, 2022
स्थान: चंडीगढ़